

सर्वोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-12

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
ऑफिस काम्पलेक्स-द्वितीय तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
email - cd12lko@upavp.com



पत्र सं०- 3778/ रेरा
सेवा में,

/116

दिनांक- 22/12/18

प्रमाण पत्र

संरचनात्मक सुरक्षा (Structural Safety)

- परियोजना का नाम : गोकुल ग्राम योजना-प्रथम, मुन्नू खेड़ा, लखनऊ में 672 नग एल0आई0जी0 (जी+3) प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य।
- रेरा में पंजीकरण सं०: UPRERAPRJ10697 दिनांक :-15.08.2017
- परियोजना हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से संबंधित विवरण
- तकनीकी स्वीकृतियां :

क्र. सं.	विवरण	आई0डी0 सं०	लागत (लाख में)	दिनांक	अभ्युक्तियां
अ	विकास कार्य				
1	Drain	014181	134.43	20.09.2016	
2	Water line	014180	65.56	05.09.2016	
3	OHT	014175	87.03	01.02.2016	
4.	Sewer Line	014177	130.12	05.05.2016	
	Road	014176	221.36	04.04.2016	


- संरचनात्मक डिजाइन विवरण :

क्र. सं.	विवरण	डिजाइन करने की संस्था	वैटिंग का स्तर	दिनांक	अभ्युक्तियां
(अ)	विकास कार्य				
1	Drain	उप निदेशक गुण नियन्त्रण कोष्ठ-प्रथम	निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ	14.07.16	
2	Water line	उप निदेशक गुण नियन्त्रण कोष्ठ-प्रथम	निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ	19.03.16	
3	OHT	उप निदेशक गुण नियन्त्रण कोष्ठ-प्रथम	निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ	11.08.15	
4.	Sewer Line	उप निदेशक गुण नियन्त्रण कोष्ठ-प्रथम	निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ	07.01.16	
(ब)	निर्माण कार्य				
1	014156	उप निदेशक गुण नियन्त्रण कोष्ठ-प्रथम	निदेशक, गुण नियन्त्रण कोष्ठ	15.06.15	

3.3 परियोजना के प्रारम्भ से पूर्ण होने की तिथि तक अभियन्ताओं/फील्ड स्टाफ का विवरण:

क्र. सं.	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अवर अभियन्ता	अन्य फील्ड स्टाफ
1	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद	श्री ओ0पी0 पाण्डेय, श्री पंकज वर्मा	श्री कृष्णानन्द, श्री विजय सिंह, श्री लाल बहादुर शर्मा	
2	श्री एस0सी0 त्रिपाठी	श्री पंकज वर्मा, श्री डी0एन0 पाण्डेय	श्री हिमांशु सिंह, श्री नरेन्द्र कुमार	
3.	श्री एच0एस0 शर्मा	श्री ए0के0 सिन्हा, श्री डी0सी0 राय	श्री आर0पी0 तिवारी, श्री हिमांशु सिंह, श्री नरेन्द्र कुमार	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में समस्त निर्माण/विकास कार्य उपर्युक्त वर्णित अभियन्ताओं/फील्ड स्टाफ की उपस्थिति में प्रस्तर 3.1 में उल्लिखित तकनीकी स्वीकृतियों तथा प्रस्तर 3.2 में उल्लिखित संरचनात्मक डिजाइन में निहित प्राविधानों के अनुरूप कराये गये हैं। उपरोक्त वर्णित विन्दुओं के आधार पर संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ईश्वर मेरी मदद करे।


(इं0 एच0एस0 शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता